सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 141 राँची, सोमवार, 1 फाल्गुन, 1938 (श०)
21 फरवरी, 2017 (ई०)

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

3 फरवरी, 2017

एस०ओ०-5-- कारखाना अधिनियम, १९४८ की धरा-६६ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल राज्य के समस्त कारखानों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार महिला कामगारों की कार्यावधि को निम्नानुसार विनियमित करने का निर्देश देते हैं :-

१. किसी भी महिला से किसी कारखाने में १०:०० बजे रात्रि से ०५:०० बजे प्रातः तक कार्य नहीं लिया जायेगा और ना ही इसकी स्वीकृति दी जाएगी.

२. किसी महिला से किसी कार्य दिवस को ०९ (नौ) घंटों से अधिक या सप्ताह में ४८ (अड़तालिस) घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.

३. यदि किसी महिला को संध्या ०७:०० बजे से रात्रि १०:०० बजे तक तथा प्रातः ०५:०० बजे से प्रातः ०६:०० बजे के मध्य कार्य पर बुलाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति मे महिला कर्मकार को उसके आवास से कारखाना लाने तथा वापस पहुँचाने की व्यवस्था नियोजक के द्वारा की जायेगी तथा इस पर हुए व्यय का वहन कारखाना प्रबंधन द्वारा किया जायेगा.

४. किसी महिला को संध्या ०७:०० बजे से रात्रि १०:०० बजे तथा प्रातः ०५:०० बजे से प्रातः ०६:०० बजे के मध्य काम करने से इनकार करने पर नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा तथा न ही कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.

५. दखलकार के द्वारा ऐसे सभी महिलाओं के लिये खाने की व्यवस्था की जायेगी.

६. किसी भी महिला को संध्या ०७:०० बजे से रात्रि १०:०० बजे तथा प्रातः ०५:०० बजे से प्रातः ०६:०० बजे के मध्य काम करने के लिए काम पर बुलाने के पूर्व नियोजक के द्वारा स्थानीय कारखाना निरीक्षक को एक सप्ताह पूर्व एतद संबंधी सूचना दी जायेगी ताकि कारखाना निरीक्षक के द्वारा इसका आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जाय.

७. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे कार्य स्थल अथवा संस्थान में संभावित यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के कृत्य अथवा घटना होने से रोकें तथा ऐसे घटना घटित होने पर उनका विवरण तथा अभियोजनात्मक कार्रवाई करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें.

८. सभी नियोजक अथवा कारखाना या कार्य स्थल (Work Place) के प्रभार के व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये:-

(I) यौन उत्पीड़न जिसमे अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर सम्मिलित हो, जैसा कि- शारीरिक संपर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिये मांग अथवा अनुरोध, कामासवत फब्तियां, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. उक्त कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए.

(II) यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये आचरण तथा अनुशासन बाबत नियम या विनियमन, कारखाना प्रबंधक द्वारा बनाया जायेगा तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरुद्ध समुचित दंड की व्यवस्था की जाने के साथ कारखाने में वर्तमान में लागू स्थाई आदेश (Standing Order) में आवश्यक संशोधन भी किया जाये.

(III) कारखाने में पर्याप्त कार्य दशा (Working Conditions) की व्यवस्था की जाए जिसमें कार्य करने, अवकाश के समय स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का वातावरण हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सकें कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण निर्मित नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके नियोजन से संबंधित कोई अलाभकारी स्थिति है.

९. कोई आपराधिक प्रकरण की स्थिति में नियोजक दंडनीय क़ानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाहों को उत्पीड़ित नहीं करें तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव नहीं बरतें. यदि प्रभावित महिला के अनुरोध पर उन्हें पारी अथवा स्थानांतरण की आवश्यकता हो तो भी आवश्यक व्यवस्था करें. नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण (Misconduct) की परिधि में आता है.

१०. कारखाने में नियोजक, शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर एक शिकायत समिति जिसमें विशेष सलाहकार तथा अन्य सहायक सेवा जिसमें गोपनीयता बनी रहे, की व्यवस्था भी शामिल होगी.

११. सभी शिकायत समिति की मुखिया महिला होगी, तथा उसकी महिला सदस्या की संख्या आधे से कम न होगी, इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन (Non-Government Organization) का प्रतिनिधि शामिल होगा अथवा ऐसा व्यक्ति होगा जो यौन उत्पीड़न के मामले से भलीभांति परिचित हो.

१२. महिला कर्मचारी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जायेगा तथा ऐसे दिशा निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जाएगा.

१३. जहाँ पर यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष (Third Party) द्वारा की जाए वहां पर नियोजक अथवा कारखाने के अधिभारित व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाये जाने होंगे तथा प्रभावित व्यक्ति को समुचित सहयोग तथा सहायता घटना की रोकथाम के लिए दी जानी होगी.

१४. दखलकार न केवल कारखानों के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेंगे बल्कि कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगह जहाँ पर महिला उक्त अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार आती जाती होगी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करेंगे.

१५. दखलकार यह भी देखेंगे कि नियोजित महिलाओं के एक टोली (Batch) में १० से कम संख्या में नियोजित न हों तथा उपरोक्त अवधि में कारखानों में कुल नियोजित महिलाओ की कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक न हो.

१६. उक्त अवधि में प्रवेश तथा निर्गम (Exit) स्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये.

१७. महिलाओं के अग्रिम रूप से आगमन के दौरान तथा कार्य के घंटे के बाद बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में वर्कशेड की व्यवस्था की जाये.

१८. महिलाओं के लिए पृथक से कैंटीन की सुविधा की व्यवस्था का प्रावधान हो.

१९. जहाँ पर दखलकार तथा कारखाने के अधिभोगी द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाती है वहां पृथक से महिलाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी.

२०. दखलकार नियोजक उक्त अवधि में कम से कम दो महिला संरक्षक (Female Warden) की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी.

२१. कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस पारी में १०० से अधिक महिला कार्यरत है, उसमे पृथक से एक वाहन रखा जायेगा ताकि तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुँचाया जा सके.

२२. जहाँ पर कारखाने द्वारा भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था महिलाओं के लिए की जाये, उसकी व्यवस्था मुख्य रूप से महिला संरक्षक (Female Warden) अथवा पर्यवेक्षक (Supervisor) के नियंत्रण में होगी.

२३. उक्त अवधि में पर्यवेक्षक या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारी (Supervisory Staff) में महिलाओं की संख्या एक-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए.

२४. कार्य के घंटे के सन्दर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियम के प्रावधान के अतिरिक्त, समान पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुसरण भी नियोजक द्वारा किया जायेगा.

२५. महिलायें जो उक्त अवधि में काम करती हो, की एक मासिक बैठक उनके प्रतिनिधियों तथा कारखाना प्रबंधक के साथ होगी जिसे ८ सप्ताह में एक बार शिकायत दिवस के रूप में हो तथा प्रबंधन यह प्रयत्न करे कि उस व्यवस्था का परिपालन हो, प्रबंधन सभी उचित शिकायतों (Grievances) के निराकरण की व्यवस्था भी करे.

२६. नियोजक प्रत्येक १५ दिन में उक्त अवधि में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा ऐसी किसी आकस्मिक घटना का प्रतिवेदन तत्काल ही सम्बंधित कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा.

संख्या-७/विमु० १०२६/२०१५ श्र०नि०(मु०का०नि०)- ११५

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 141--500